



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53471

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 3312 वर्ष 2026

प्रबंधन समिति, समाज सेवक जूनियर हाई स्कूल और अन्य ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी, शिव पूजन यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., राजेश कुमार सिंह

रिट-सी संख्या 7344 वर्ष 2026 के साथ

13.3.2026 को सुरक्षित किया गया

17.3.2026 को वितरित किया गया

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री आर.के.ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री एस.सी.त्रिपाठी कर रहे थे, की दलीलें सुनी गईं। और प्रतिवादियों की ओर से श्री प्रभाकर अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री आर.के.सिंह कर रहे थे, की दलीलें सुनी गईं।
2. ये दो रिट याचिकाओं का समूह है।
3. प्रथम रिट याचिका संख्या 3312/2026, प्रबंधन समिति, समाज सेवक जूनियर हाई स्कूल, भौरकला, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा प्रबंधक श्री विकास कुमार के माध्यम से दायर की गई थी।
4. प्रबंधन समिति का पिछला चुनाव वर्ष 2022-2023 में 3 वर्ष की अवधि के लिए 12.6.2022 को हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 2 ने दावा किया है कि वह प्रबंधक के रूप में निर्वाचित हुए थे, जबकि ब्रजवीर सिंह, पुत्र जगदीश को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
5. पदाधिकारियों की सूची सहायक रजिस्ट्रार को भेजी गई ताकि वे इस सूची को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (जिसे आगे “1860 का अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4 के अंतर्गत पंजीकृत कर सकें।
6. प्रतिवादी संख्या 4, जिसने स्वयं को कोषाध्यक्ष बताया, ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने 200 नए सदस्यों की सूची प्रस्तुत की। हालांकि, आपत्ति पर विचार करने के बाद, सहायक रजिस्ट्रार ने दिनांक 8.06.2022 को एक आदेश पारित किया, जिसमें नए शामिल किए गए 200 सदस्यों की सूची को अस्वीकार कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत 146 सदस्यों की सूची को स्वीकार कर लिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त आदेश की प्रकृति से संकेत मिलता है कि यह 1860 के अधिनियम की धारा 4-बी के तहत पारित किया गया था।

8. उपरोक्त दिनांक 8.6.2022 के आदेश के अनुसरण में, सहायक रजिस्ट्रार ने दिनांक 18.8.2022 को एक आदेश पारित किया और वर्ष 2022-2023 की प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों को पंजीकृत किया।

9. उपर्युक्त आदेश की सामग्री में कहा गया है कि यह आदेश 1860 के अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पारित किया गया था। केवल दिनांक 18.8.2022 के आदेश को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपील संख्या 01/2022-23 दाखिल करके चुनौती दी गई थी।

10. उपर्युक्त अपील स्पष्टतः 1860 के अधिनियम की धारा 2ए और 3ए के तहत दायर की गई थी और इसे दिनांक 22.12.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, क्योंकि यह कानून के सही प्रावधानों के तहत दायर नहीं की गई थी।

11. इसके बाद प्रतिवादी संख्या 4 ने रिट याचिका संख्या 1708/2023 दायर करके दिनांक 22.12.2022 के आदेश को चुनौती दी, जिसका निस्तारण दिनांक 1.2.2023 के आदेश द्वारा किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 22.12.2022 के आदेश को रद्द कर दिया गया और विलंब क्षमा आवेदन पर आदेश पारित करने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को वापस भेज दिया गया।

12. उपरोक्त परिस्थितियों में, उक्त अपीलकर्ता द्वारा विलंब की क्षमा के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और अपील को 1860 के अधिनियम की धारा 4 (1-ए) के तहत दायर माना जाए,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके लिए प्रार्थना भी की गई थी। अपील के ज्ञापन से यह स्पष्ट होगा कि यह केवल 18.8.2022 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी।

13. आयुक्त, सहारनपुर डिवीजन, सहारनपुर, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 1.5.2025 के आदेश द्वारा विलंब की माफी के लिए आवेदन स्वीकार किया और अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया।

14. उपरोक्त परिस्थितियों में, दिनांक 18.9.2025 का विवादित आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 8.6.2022 के आदेश और दिनांक 18.6.2022 के आदेश निरस्त किए गए।

15. विवादित आदेश के पहले पैराग्राफ में यह उल्लेख किया गया था कि अपील न केवल दिनांक 8.6.2022 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, बल्कि दिनांक 18.8.2022 के आदेश के विरुद्ध भी दायर की गई थी। हालांकि, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मूल अपील में की गई प्रार्थनाओं में इस हद तक संशोधन किया गया था कि दिनांक 8.6.2022 को पारित आदेश (1860 के अधिनियम की धारा 4-बी के तहत पारित आदेश को भी अपील में चुनौती दी गई थी।

16. दिनांक 18.9.2025 के आदेश द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और दिनांक 18.6.2022 और 18.8.2022 के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया गया तथा मामले को सहायक रजिस्ट्रार को वापस भेज दिया गया ताकि वे 200 नव नियुक्त सदस्यों के मुद्दे पर विधि के अनुसार योग्यता के आधार पर निर्णय लें, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद।

17. दिनांक 18.9.2025 के आदेश को रिट याचिका संख्या 3312/2026 में चुनौती दी गई है, जो दिनांक 15.1.2026 को दायर की गई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. उपरोक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, सहायक रजिस्ट्रार ने दिनांक 18.9.2025 के पुनर्विचार आदेश (प्रथम रिट याचिका में चुनौती दी गई) के आधार पर दिनांक 30.1.2025 को एक आदेश पारित किया, जिसके द्वारा 146 और 200 सदस्यों की दोनों सूचियाँ स्वीकार कर ली गईं। संदर्भ के लिए, इसका प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

निर्णय:

अतः न्यायालय आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उभय पक्षों को सुना गया। न्यायालय आयुक्त द्वारा पारित उक्त आदेश में अंकित निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि, "200 नवीन सदस्यों की सूची को स्वीकृत नहीं किया गया जबकि सदस्यों की सदस्यता रसीदें तथा इन सदस्यों की आपत्तियां एवं शपथ-पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत हुए तथा इनका शुल्क बैंक खाते

इसके अतिरिक्त 146 सदस्यों जो कि पूर्व से चले आ रहे हैं तथा तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत है तथा चुनाव अधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त सही पाये गये हैं एवं उसी सूची के आधार पर विभिन्न चुनाव भी कराया गया है। अतः उक्त 146 सदस्यों को स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्तानुसार 200 नवीन सदस्य व 146 पुराने सदस्यों को वैध घोषित किया जाता है तथा संस्था की प्रबन्ध समिति का चुनाव सोसाइटीज रजि० एक्ट 1860 की धारा 25 (2) के अन्तर्गत करायें जाने हेतु आदेश पृथक से जारी किया जाएगा।"

19. दिनांक 30.1.2025 के आदेश को दूसरी रिट याचिका संख्या 7344/2026 में चुनौती दी गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 8.6.2022 को पारित आदेश को प्रतिवादी पक्षों द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा, चूंकि यह आदेश 1860 के अधिनियम की धारा 4-बी के तहत पारित किया गया था, इसलिए कोई अपील विचारणीय नहीं थी।

21. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय को समझाने का प्रयास किया, यद्यपि वे ऐसा करने में असफल रहे क्योंकि हाल ही में इस न्यायालय ने रिट-सी संख्या 8732/2026, 2026:एचसी:51323 में कानून की स्थिति को दोहराया है कि 1860 के अधिनियम की धारा 4 (1-ए) के तहत 1860 के अधिनियम की धारा 4-बी के तहत पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील विचारणीय नहीं होगी। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

“8. अभिषेक पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025, एचसी:213663-डी.बी, इस न्यायालय की खंडपीठ के मामले में न्यायालय ने माना है कि अधिनियम की धारा 4-बी के तहत किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं होगी। चूंकि इस न्यायालय के समक्ष कानून की कोई अन्य स्थिति नहीं बताई गई है, इसलिए न्यायालय उक्त निर्णय का अनुसरण करता है और अतः पाता है कि अधिनियम की धारा 4-बी के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने की सीमा तक विवादित आदेश अवैध हो जाता है। प्रतिवादी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिए जाने के बावजूद कानून की कोई विपरीत स्थिति प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद, न्यायालय पाता है कि प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क में दम है कि अधिनियम की धारा 25(2) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 25(d) के तहत दायर अपील विचारणीय होगी। दोनों अपीलें अधिनियम की धारा 25(2) के तहत दायर की गई थीं, न कि अधिनियम की धारा 4-B के तहत, जैसा कि रिकॉर्ड पर रखे गए अपील जापन से स्पष्ट है।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले की योग्यता पर कोई तर्क नहीं दिया है, अर्थात् क्या धारा 25(2) के तहत दायर अपीलों पर पारित आदेश, कुछ हद तक कानूनी रूप से अस्थिर हो सकता है, हालांकि, फिर भी यह अधिक उचित होगा यदि विवादित आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, इसलिए, इसे संबंधित प्रतिवादी को वापस भेजा जाता है ताकि वह केवल अधिनियम की धारा 25(2) के तहत पारित आदेश के संबंध में अपील पर निर्णय ले और इसके कानूनी परिणाम तय किए जाएं। जहां तक अधिनियम की धारा 4-ए के तहत पारित आदेश का संबंध है, संबंधित निजी प्रतिवादियों को कानूनी रूप से उपलब्ध उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता होगी।

11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।”

22. उपरोक्त परिस्थितियों में, अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 8.6.2022 के आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर विचार करने में त्रुटि की है, अतः मामले को सहायक रजिस्ट्रार को वापस भेजने का निर्देश, जिसमें 200 नव नियुक्त सदस्यों की सदस्यता पर विचार करना आवश्यक है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है और तदनुसार इसे रद्द किया जाना चाहिए। आदेश दिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. उपरोक्त परिस्थितियों में सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 30.1.2026 को पारित आदेश (जिस पर संबंधित रिट याचिका संख्या 7344/2026 में चुनौती दी गई है) को भी निरस्त किया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया गया।

24. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपति का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि विवादित आदेश कानून के प्रावधानों के बिल्कुल विरुद्ध पारित किया गया था।

25. उपरोक्त परिस्थितियों में, मामले को अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है, ताकि वह केवल अपील ज्ञापन के आधार पर अपील का निर्णय करे, जिसमें केवल सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पारित दिनांक 18.8.2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी, यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसा आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 4-1 के तत्वों का पालन किया गया था या नहीं।

26. दिनांक 8.6.2022 के आदेश के संबंध में, पीड़ित पक्ष कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है।

27. दोनों रिट याचिकाओं का तदनुसार निस्तारण किया जाता है

17 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

एसबी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।